राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट   जयपुर, दिनांकः 30 सितम्बर, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के अलवर एवं धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तीन चरणों में सम्पन्न कराये जायेगें। पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के प्रावधान अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिये मतदान दिनांक 20.10.2021, 23.10.2021 एवं 26.10.2021 को होना है। प्रत्येक मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घण्टे से पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार सूखा दिवस लागू करने के निर्देश प्रदान किए जाते है :–

उक्तानुसार जहाँ प्रथम चरण में चुनाव होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 18.10.2021 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 20.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक, द्वितीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 21.10.2021 को सांय 5:00 बजे से दिनांक 23.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक एवं तृतीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 24.10.2021 को सांय 5:00 बजे से दिनांक 26.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार   आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2020 III/4812 दिनांक 28.09.2021 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर अलवर/धौलपुर
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर/भरतपुर
10. जिला आबकारी अधिकारी अलवर/धौलपुर
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

विभाग 51
6184
29 SEP 2021

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
E-mail- secsec.raj@rajasthan.gov.in ☎Ph: 0141-2227280, 2227072, 2227407

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)पंचा./रानिआ/2020/III/ 4812 दिनांक 28.09.2021

प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव माह अक्टूबर, 2021 – सूखा दिवस घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के अलवर एवं धौलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने हेतु घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की लोक सूचना दिनांक 04.10.2021 को जारी होगी एवं तीन चरणों के लिए मतदान क्रमशः दिनांक 20.10.2021, 23.10.2021 एवं 26.10.2021 को होगा। चुनाव कार्यक्रम एवं चरणवार पंचायत समितियों का विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान इन चुनावों में भी लागू होते है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के अनुसार मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में किसी भी प्रकार से शराब (Liquor) को विक्रय किया जाना या दिया जाना या वितरित किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है।

चूंकि मतदान तीन चरणों में अलग–अलग दिन पर कराया जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि मतदान क्षेत्रों से लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध हो। अतः प्रत्येक चरण के लिये मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित कराना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार प्रथम चरण में जहाँ चुनाव होने है, उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 18.10.2021 को सांय 5.00 से दिनांक 20.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक, द्वितीय चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 किमी परिधीय क्षेत्र मे दिनांक 21.10.2021 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 23.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक एवं तृतीय चरण मे जिन क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने है उन क्षेत्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 24.10.2021 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 26.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाना अपेक्षित है।

कृपया उपरोक्तानुसार सूखा दिवस घोषित करवाने की व्यवस्था करावें। इस संबंध में जारी किए गए आदेश से आयोग को भी अवगत करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)पंचा./रानिआ/2020/III/ 4813 दिनांक 28.09.2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), अलवर एवं धौलपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

ASC
29/9

5

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2021 – चुनाव कार्यक्रम

(जिला अलवर एवं धौलपुर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण (तीनो चरणों के लिए)	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	04.10.2021 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.10.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक (दिनांक 07.10.2021 (गुरूवार) को भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएगें)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.10.2021 (शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	11.10.2021 (सोमवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	11.10.2021 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान / पहुंच	
	प्रथम चरण के लिए	19.10.2021 (मंगलवार)
	द्वितीय चरण के लिए	22.10.2021 (शुक्रवार)
	तृतीय चरण के लिए	25.10.2021 (सोमवार)
7	**मतदान की तिथि**	
	प्रथम चरण के लिए	**20.10.2021 (बुधवार)**
	द्वितीय चरण के लिए	**23.10.2021 (शनिवार)**
	तृतीय चरण के लिए	**26.10.2021 (मंगलवार)**
8.	**मतदान का समय**	**प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक**
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)	29.10.2021 (शुक्रवार) प्रातः 9.00 बजे से

जिला प्रमुख / उप जिला प्रमुख / प्रधान / उप प्रधान हेतु चुनाव कार्यक्रम

क्र.स.		कार्य का विवरण	तिथियां
10		प्रमुख / प्रधान का चुनाव	30.10.2021 (शनिवार)
11		उप प्रमुख / उप प्रधान का चुनाव	31.10.2021 (रविवार)
12		प्रमुख / उपप्रमुख / प्रधान / उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी	
	1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना।	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
	7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद, जो भी पहले हो

-2-

Revised

STATE ELECTION COMMISSION

SPELL-WISE ZP & PS MEMBER ELECTION PROGRAMME, 2020

S. No.	District	No. of Const. in Z.P.	Ist Spell				IInd Spell				IIIrd Spell			
			Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths
1	ALWAR	49	KOTKASIM	15	28	145	THANAGAZI	19	39	197	UMRAIN	27	33	170
			TIJARA	21	47	238	RAINI	17	26	159	KISHANGARHBAS	27	37	175
			BEHROR	19	32	175	RAJGARH	17	34	168	RAMGARH	31	39	188
			NEEMRANA	19	34	173	GOVINDGARH	21	25	119	MALAKHERA	25	33	141
			MUNDAWAR	25	48	241	LAXMANGARH	21	24	131	BANSUR	23	46	213
							KATHUMAR	25	47	236				
		49	5	99	189	973	6	120	195	1010	5	133	188	887
2	DHOLPUR	23	DHOLPUR	29	35	156	BARI	25	35	140	BASERI	19	26	106
			RAJAKHERA	25	32	134	SEPAUN	27	39	162	SARMATHURA	15	21	73
		23	2	54	67	290	2	52	74	302	2	34	47	179
Grand Total		72	7	153	256	1263	8	172	269	1312	7	167	235	1066

No. Z.P. Consty.

72

Panchayat Samiti

I SPELL	7
II SPELL	8
III SPELL	7
Total	22

P.S.M.Const.

Ist SPELL	153
IInd SPELL	172
IIIrd SPELL	167
Total	492

Gram Panchayat

I SPELL	256
II SPELL	269
III SPELL	235
Total	760

Polling Booth

I SPELL	1263
II SPELL	1312
III SPELL	1066
Total	3641